राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4144/2010

मनीष तोमर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, परिवहन, परिवहन भवन, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.11.2010

आदेश की दिनांक : 03.11.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल एवं श्री रामेश्वर गुर्जर, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को मोटर वाहन उप निरीक्षक संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के पद से पदोन्नति पर विचार किया जावे और समस्त पदोन्नति आदि पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 25.03.1996 को कनिष्ठ सहायक के पद पर हुई थी और उसे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, चूरू नियुक्त किया गया। आदेश दिनांक 11.07.1996 के द्वारा अपीलार्थी को आईजीएनपी, बीकानेर स्थानान्तरित किया गया तथा सीएडी आईजीएनपी में एलडीसी का पद समाप्त होने के कारण उसे

नियमानुसार आदेश दिनांक 16.06.2000 के द्वारा अधिशेष घोषित कर आदेश दिनांक 26.06.2000 के द्वारा स्थायी रूप से एलडीसी के पद पर परिवहन विभाग में समायोजित किया गया। परिवहन विभाग द्वारा वरिष्ठता सूची जारी की गई। उनका कथन है कि मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद दो तरीके से भरे जाते हैं। 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा और 25 प्रतिशत पद परिवहन विभाग के कनिष्ठ सहायक से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और संशोधन आदेश दिनांक 06.01.1998 के द्वारा जो वर्ष 1998 तक नियुक्त किए गए हैं, वे ऑटो मोबाइल इंजीनियर में विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नत किए जा सकेंगे और वर्ष 1998 के बाद नियुक्त जिनके पास ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है, वही उक्त पद पर पदोन्नति के पात्र होंगे और इस प्रकार अपीलार्थी वर्ष 1998 से पूर्व नियुक्त हुआ था। परंतु अपीलार्थी अब तक कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्य कर रहा है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद पर अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। अपील संख्या 2433/2008 में अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में भी अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को मोटर वाहन उप निरीक्षक संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के पद से पदोन्नति पर विचार किया जावे और समस्त पदोन्नति आदि पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि दिनांक 06.01.1998 से पूर्व परिवहन विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के पात्र हो सकते हैं, बशर्ते कि वे नियमों के अंतर्गत अन्य योग्यता भी रखते हों। चूंकि अपीलार्थी दिनांक 06.01.1998 को विभाग में नियुक्त नहीं था और दिनांक 24.06.2000 को विभाग में आया है। इसलिए उक्त पद के लिए पदोन्नति हेतु पात्र नहीं है और वर्ष 2006–07 में डीपीसी के तहत वरिष्ठ लिपिक के पद पर अपीलार्थी को पदोन्नति दी गई और इस प्रकार कनिष्ठ लिपिक को अग्रिम पदोन्नति से पूर्व यह विकल्प मांगा जाता है कि अभ्यर्थी कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति चाहता है या कनिष्ठ लिपिक से मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद की पदोन्नति चाहता है। परंतु अपीलार्थी वर्ष 2000 में विभाग में

आया है। इसलिए अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति हेतु पात्र नहीं मांगा गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 25.03.1996 को कनिष्ठ सहायक के पद पर हुई थी और उसे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, चूरू नियुक्त किया गया। आदेश दिनांक 11.07.1996 के द्वारा अपीलार्थी को सीएडी कमाण्ड एरिया डवलपमेंट (सीएडी) आईजीएनपी, बीकानेर स्थानान्तरित किया गया तथा सीएडी आईजीएनपी में एलडीसी का पद समाप्त होने के कारण उसे नियमानुसार आदेश दिनांक 16.06.2000 के द्वारा अधिशेष घोषित कर आदेश दिनांक 26.06.2000 के द्वारा स्थायी रूप से एलडीसी के पद पर परिवहन विभाग में समायोजित किया गया। राज्य कर्मचारियों को अधिशेष घोषित किए जाने की स्थिति में वरिष्ठता निर्धारण संबंधी नियमों के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा उसे वरिष्ठता प्रदान कर दी गई लेकिन मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए नियमों में उपलब्ध प्रावधान से उसे वंचित किया जा रहा है, जो हमारे मत में नियम विरूद्ध है। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी विभाग में वर्ष 2000 में आया है। चूंकि अपीलार्थी को विभाग द्वारा वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति भी प्रदान की गई है और यदि अपीलार्थी ने वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति ग्रहण कर ली है तो उसका मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति का क्लेम समाप्त नहीं माना जा सकता। चूंकि अपीलार्थी को वर्ष 2006–07 में वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दी गई है। जबकि मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति वर्ष उससे पूर्व वर्ष की है। अपीलार्थी को आईजीएनपी से परिवहन विभाग में सरप्लस करने में अपीलार्थी का कोई योगदान नहीं है। जब परिवहन विभाग द्वारा अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 25.03.1996 मानकर उसे वरिष्ठता प्रदान की गई है और इस प्रकार उसे हमारे मत में मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य माना जाना इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी परिवहन विभाग में वर्ष 2000 में आया है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 25.03.1996 मानकर उसे मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विकल्प देने एवं पदोन्नति हेतु पात्रता परीक्षा में शामिल किए जाने योग्य घोषित किया जाकर उसकी वरिष्ठतानुसार एवं नियमानुसार उक्त पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)